रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2011/माघ 18, 1932
No. 215] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2011/MAGHA 18, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2011

का.आ. 255(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्रित अधिसूचना कहा गया है) के पैरा 3 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	प्रो0 रमेश चंद्र सिन्हा, पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण केन्द्र (सीईएनसी), जंतु विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	अध्यक्ष, पर्यावरण क्वालिटी और परियोजना प्रबंधन
2.	प्रो0 (डॉ0) रविन्द्र कुमार सिन्हा, आचार्य जंतु विज्ञान, पर्यावरण जीव विज्ञान प्रयोगशाला, पटना विश्वविद्यालय, पटना-800005 निवास : 6, आचार्य क्वार्टर, पटना विज्ञान महाविद्यालय परिसर, पटना-800005	सदस्य, प्राणीजात प्रबंधन में पर्यावरण क्वॉलिटी जीवन विज्ञान विशेषज्ञ
3.	सलाहकार, पर्यावरण और वन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और अशासकीय सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त राजपत्रित अधिसूचना में प्रगणित हैं ।

4. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के लिए बिहार राज्य सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् आकलन समिति कहा गया है) गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	डा.सुनील कुमार चौधरी, आचार्य, प्रभारी वनस्पति विज्ञान, विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग, तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर-812007	अध्यक्ष, जीवन विज्ञान
2.	डा0 अशोक कुमार घोष, आचार्य पर्यावरण और जल प्रबंधन तथा जयेष्ठ संकाय, पर्यावरण विज्ञान स्नातकोत्तर विभाग (पी.जी.सेंटर मगध विश्वविद्यालय), एन.एन.कालेज पटना, मगध विश्वविद्यालय	सदस्य, पर्यावरणीय क्वालिटी और जीवन विज्ञान
3.	श्री सीता राम सिंह, रोड सं0 9, पटेल नगर, पटना-800023	सदस्य, पर्यावरण अर्थशास्त्र और परियोजना प्रबंधन
4.	श्री साहदेव झा (सेवानिवृत्त आई.एफ.एस.), पंचवटी 480, नेहरु नगर, पटना-800013	सदस्य, वानिकी और वन्यजीवन
5.	श्री महेश प्रसाद भगत, 2ए, शिल्पा एन्कलेव अपार्टमेंट, अभियन्ता नगर के सामने, रामनगरी मेन रोड, पी.ओ.-आशियाना नगर, पटना-800025	सदस्य, पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया
6.	डा0 राकेश कुमार सिंह, बी-13, दूसरा तल, सैक्टर-6, नोएडा (उ.प्र.)	सदस्य, पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया और वन्यजीव संरक्षण
7.	श्री नरेन्द्र कुमार, मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, एनआईटी पटना-800005	सदस्य, पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया

5. प्राधिकरण, राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय करेगा ।

6. आकलन समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. आकलन समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो उक्त राजपत्रित अधिसूचना में प्रगणित हैं ।

8. आकलन समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति बनाने का प्रयास करेगा और यदि सहमति नहीं हो सकती है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

9. बिहार राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी समर्थन, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन सुविधाएं भी है, और ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी ।

10. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता बिहार राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013/36/2008-आईए.-II (I)]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक "जी"

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2011

S.O. 255(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with paragraph 3 of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006,(hereinafter referred to as the said Gazette notification) the Central Government hereby constitutes the State Environment Impact Assessment Authority, Bihar (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Chairperson, and Members, namely:—

1.	Prof. Ramesh Chandra Sinha, Centre for Environment and Nature Conservation (CENC), Department of Zoology, Patna University, Patna, Bihar	Chairman, Environment Quality, and Project Management.
2.	Prof. (Dr.) Ravindra Kumar Sinha, Professor of Zoology, Environment Biology laboratory, Patna University, Patna – 800005. Residential: 6, Professor quarter, Patna Science College Campus, Patna – 800005.	Member, Environment Quality Life Sciences expert in faunal management
3.	Adviser, Department of Environment and Forests, Government of Bihar	Member Secretary

2. The Chairman and non-official member of the Authority shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedure as are enumerated in the said Gazette Notification.

4. To assist the Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Bihar, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee, (hereinafter referred to as Appraisal Committee) comprising of the following Chairperson and Members, namely:-

1	Dr. Sunil Kumar Choudhary, Professor in Botany, University Department of Botany, Tilka Manghi, Bhagalpur University, Bhagalpur -812007	Chairman, Life Sciences
2.	Dr. Ashok Kumar Ghosh, Professor incharge of Department of Environment and Water Management and Senior Faculty, Post Graduate Department of Environmental Sciences (P.G. Cente of Magadh University), A. N. College, Patna, Magadh University.	Member, Environment Quality and Life Sciences.
3.	Shri. Seeta Ram Singh, Road No. 9, Patel Nagar, Patna – 800023.	Member, Environmental Economics and Project Management
4.	Shri. Sahdeo Jha (I.F.S. Retd.), Panchavatee 480, Nehru Nagar, Patna - 800013	Member, Forestry and Wildlife
5.	Shri Mahesh Prasad Bhagat, 2A, Shilpa Enclave Apartment, Opp.- Abhiyanta Nagar, Ramnagri Main Road, P.O.- Ashiana Nagar, Patna- 800 025	Member, Environment Impact Assessment Process
6.	Dr. Rakesh Kumar Singh, B-13, 2_{nd} Floor, Sector- 6, Noida (U.P.)	Member, Environment Impact Assessment Process and Conservation of Wildlife
7.	Shri Narendra Kumar, Department of Mechanical, Engineering NIT Patna- 800 005	Member, Environment Impact Assessment Process

5. The Authority, shall take decision on the recommendations of the State Expert Appraisal Committee.

6. The Chairman and Members of the Appraisal Committee shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The Appraisal Committee shall exercise such powers and follow such procedures as are enumerated in the said Gazette notification.

8. The Appraisal Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

9. The State Government of Bihar shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. Sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid in accordance with the rules of the State Government of Bihar.

[F. No. J-11013/36/2008-IA.-II(I)]

NALINI BHAT, Scientist "G"

418 GI/11-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.